

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 22 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 798 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (i) क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "15%" रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iii) क्रम सं. 7 के सामने, स्तंभ (3) में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(i) चार्जर या एडाप्टर, मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन (पीसीबीए) (टैरिफ मद 8504 90 90 के अधीन आने वाले) और ढली हुई प्लास्टिक (टैरिफ मद 3926 90 99 या 8504 90 90 के अधीन आने वाले) को छोड़कर" ;
- (iv) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7क.	3926 90 99 8504 90 90	सैलुलर मोबाइल फोन के ढली हुई प्लास्टिक के चार्जर या एडाप्टर	10%	-	-
"7ख.	कोई अध्याय	सैलुलर मोबाइल फोन के चार्जर या एडाप्टर के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निर्माण के लिए निम्नलिखित इनपुट या पुर्जे, अर्थात् :-	शून्य	-	1

		(i) मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन (पीसीबीए) (टैरिफ मद 8504 90 90 के अधीन आने वाले) ; (ii) ढली हुई प्लास्टिक (टैरिफ मद 3926 90 99 या 8504 90 90 के अधीन आने वाले) ।			
--	--	--	--	--	--

(v) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“9.	3919 90 90	सैलुलर मोबाइल फोन के पुर्जों या उप पुर्जों या उपसाधनों से भिन्न सभी माल, अर्थात् :- (i) ऊष्मा क्षय स्टीकर बैट्री कवर (ii) स्टीकर बैट्री स्लॉट (iii) मुख्य लेंस के लिए संरक्षा फिल्म (iv) एलसीडी एफपीसी के लिए माइलर (v) फिल्म-अगला फ्लैश	10%	-	-
10.	3920 99 99	सैलुलर मोबाइल फोन के पुर्जों या उप पुर्जों या उपसाधनों से भिन्न सभी माल, अर्थात् :- (i) बैट्री कवर (ii) अगला कवर (iii) अगला कवर (जिंक कास्टिंग सहित) (iv) बीच का कवर (v) पिछला कवर (vi) मुख्य लेंस	10%	-	-

		(vii) कैमरा लेंस			
11.	3926 90 91	सैलुलर मोबाइल फोन के पीयू केस, सीलिंग गास्केट - सीलिंग गास्केट/केस की तरह पालीयूरेथेन फोम की अन्य वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी माल	10%	-	-
12.	3926 90 99	सैलुलर मोबाइल फोन के पुर्जों या उप पुर्जों या उपसाधनों से भिन्न सभी माल, अर्थात :- (i) पीई, पीपी, ईपीएस, पीसी और अन्य सभी व्यष्टिक पोलिमेर या संयोजन/पालीमरों के संयोजन से सीलिंग गास्केट/केस (ii) सिम सॉकेट / अन्य यांत्रिक मटे (प्लास्टिक) (iii) कंडक्टिव क्लाथ (iv) एलसीडी कंडक्टिव फोम (v) एलसीडी फोम (vi) बीटी फोम	10%	-	-
13.	8504 40	सैलुलर मोबाइल फोन के चार्जर या एडाप्टर से भिन्न सभी माल	10%	-	-
14.	8506 (8506 90 00 के सिवाए)	सैलुलर मोबाइल फोन के सेल या बैट्री से भिन्न सभी माल	10%	-	-
15.	8507 (8507 60 00 और 8507 90 के सिवाए)	सैलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक से भिन्न सभी माल	10%	-	-
16.	8507 60 00	सैलुलर मोबाइल फोन के लीथियम-आयन बैट्री से भिन्न सभी माल	10%	-	-

17.	8507 60 00	सैलुलर मोबाइल फोन की लीथीयम-आयन बैट्री	15%	-	-
18.	8518	सैलुलर मोबाइल फोन के निम्नलिखित भागों से भिन्न अन्य सभी माल, अर्थात् :- (i) माइक्रोफोन (ii) तारयुक्त हेडसेट (iii) रिसेवर	10%	-	-
19.	8538 90 00	सैलुलर मोबाइल फोन की साइड कुंजी से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-
20.	8517 62 90	कलाई पर पहनने वाले उपकरणों (सामान्यतः स्मार्ट घड़ियों के रूप में ज्ञात) से भिन्न सभी माल	10%	-	-”.

(फा.सं. 334/04/2018-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।